

क्रमांक: खअ/उदय/बजरी/नीलामी/2024-25/
प्रेषित:-

दिनांक:

1. Editor, Rajasthan Patrika
Address :- 714, 7th Floor, Manglam Fun Square Mall,
Durga Nursery Road, Udaipur
Pin Code-313001
E-mail- shashwat.tiwari@patrika.com
Mobile No. -9983799836
2. Editor, Dainik Bhaskar
Address :- Sector-9, Titardi, Goverdhan Vilas Rural
Near Ridhi Sidhi Apartment, Udaipur
Pin Code-313002
E-mail- dbadvtdr@gmail.com
Mobile No. – 9672984582

विषय:- जब्तशुदा ट्रेक्टर ट्रॉली जिसके चैसिस नम्बर 0511ZJ75747, Model DI-35 Sonalika National Colour Blue मय खनिज बजरी लगभग मात्रा 4 मै.टन की सार्वजनिक नीलामी की सूचना विज्ञप्ति के समाचार पत्र में प्रकाशन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पुलिस थाना, झाडोल जिला उदयपुर परिसर में जब्तशुदा ट्रेक्टर ट्रॉली जिसके चैसिस नम्बर 0511ZJ75747, Model DI-35 Sonalika National Colour Blue मय खनिज बजरी लगभग मात्रा 4 मै.टन की नीलामी की जानी है। अतः संलग्न निविदा सूचना की विज्ञप्ति का प्रकाशन आपके समाचार पत्र के उदयपुर के दैनिक संस्करण में आगामी अंक में प्रकाशित कराने कष्ट करें। इस संदर्भ में प्रकाशित निविदा विज्ञप्ति सूचना 2 प्रतियों में एवं एक साफ्ट कॉपी इस कार्यालय की ई-मेल आईडी me.udaipur@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आसिफ अंसारी)
खनि अभियन्ता,
उदयपुर



राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड उदयपुर खनिज भवन उदयपुर -313001

Office of Mining Engineer Khanij Bhawan, Udaipur-313001

Phone: 0294-2583356 Email ID: me.udaipur@rajasthan.gov.in



क्रमांक: खअ/उदय/वाहन ट्रेक्टर नीलामी/2025/

दिनांक:—

जब्तशुदा वाहन व खनिज बजरी की नीलामी सूचना 01/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 के तहत अवैध खनन में जब्त व माननीय न्यायालय के आदेश से राजसात किया गया वाहन ट्रेक्टर ट्रॉली (स्क्रेप अवस्था) जिसके चैसिस नम्बर 0511ZJ75747, Model DI-35 Sonalika National Colour Blue मय खनिज 4 टन बजरी थाना झाडोल में उपलब्ध है को सक्षम समिति द्वारा दिनांक 28-01-2025 को प्रातः 11:00 बजे पुलिस थाना झाडोल, जिला उदयपुर में सार्वजनिक नीलाम किया जावेगा। नीलाम किये जाने वाले वाहन ट्रेक्टर ट्रॉली (स्क्रेप अवस्था) मय खनिज बजरी का विस्तृत विवरण पोर्टल SPPP वेबसाईट (<http://sppp.raj.gov.in>) और विभागीय वेबसाईट <https://mines.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

UBN No.

(आसिफ अंसारी)
खनि अभियन्ता,
उदयपुर।

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :-

1. वाहन ट्रेक्टर ट्रॉली (स्क्रेप अवस्था) में जहाँ है जैसी स्थिति में है निलाम किया जावेगा। उच्चतम बोली लगाने वालों से यह अपेक्षा की जाती है कि बोली से पूर्व वाहन ट्रेक्टर ट्रॉली का पूरा परीक्षण कर ले। तथा वाहन के विवरण के बारे में अपने आप को सन्तुष्ट करने के उपरान्त ही बोली लगावे। बोलीदाता स्क्रेप के रूप में बोली लगावे।
2. बोली हेतु बोलीदाता को दिनांक 28.01.2025 को पुलिस थाना झाडोल, जिला उदयपुर के परिसर में प्रस्तुत होकर धरोहर राशि रूपया 3100/- समय प्रातः 11:00 से 11:30 बजे के मध्य जमा कराने होंगे।
3. बोलीदाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
4. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
5. प्रत्येक बोलीदाता को ऊपर वर्णितानुसार बयाना/धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, (सतर्कता) उदयपुर के नाम हो/नकद राशि जमा करानी होगी।
6. इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
7. जब्तशुदा वाहन ट्रेक्टर ट्रॉली जिसके चैसिस नम्बर 0511ZJ75747, Model DI-35 Sonalika National Colour Blue खनिज बजरी लगभग मात्रा 4 मै.टन का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में मौके पर जाकर की जा सकती है।
8. बोली के दिन ही उच्चतम बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नकद जो खनि अभियन्ता, (सतर्कता) उदयपुर के नाम हो प्रस्तुत करना होगा, शेष राशि बोली दिवस के 7 दिवस भीतर जमा करानी अनिवार्य होगी। अन्यथा जमा धरोहर राशि जब्त करते हुए वाहन मय खनिज बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
9. उच्चतम बोलीदाता को बोली राशि के अलावा देय राजकीय कर, फीस, जीएसटी, वेट, आयकर आदि बोली राशि के अतिरिक्त जमा कराना होगा।
10. वाहन की नीलामी के पश्चात् उसमें किसी नुकसान व कमी के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
11. यदि बोली दिनांक को राजकीय अवकाश होता है तो बोली आगामी कार्यदिवस पर प्रातः 11:00 बजे प्रारम्भ होगी।
12. प्रत्येक बोली पिछली बोली से न्यूनतम रूपया 500/- व इसके गुणांक में ही बढ़ाई जानी अनुमत होगी।

13. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंधि में यदि कोई उज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार नीलामी हेतु गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
14. नीलामी को स्वीकृत/अस्वीकृत व निरस्त करने का अन्तिम अधिकार कमेटी के पास रहेगा जो सभी को मान्य होगा।
15. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र उदयपुर रहेगा।

क्रमांक: खअ/उदय/वाहन ट्रेक्टर नीलामी/2025/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी डीएमजी ओएमएमस, निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को विज्ञप्ति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर।
4. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर-जोन, उदयपुर।
5. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर-वृत, उदयपुर।
6. श्री एन.के. जोनवाल, (यांत्रिक कार्याशाला प्रभारी), उदयपुर।
7. श्री अनिल जैन, सहायक लेखाधिकारी-1, लेखा शाखा, निदेशालय उदयपुर।
8. खनि अभियन्ता, (सतर्कता), उदयपुर।
9. थानाधिकारी पुलिस थाना झाडोल जिला उदयपुर।
10. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उक्त नीलामी विज्ञप्ति को पोर्टल (<http://sppp.raj.gov.in>) पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

खनि अभियन्ता,
उदयपुर।